न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 117/2018 निगरानी

उनवान

1.श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री रामसिंह, जाति राजपूत निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा हाल मु. रतलाम (म.प्र.)

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह, जाति राजपूत निवासी राखोली, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
2. ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी, जरिये सचिव, ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी, पंचायत समिति बिजौलिया, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

—— निगराकार

——गैर निगराकारगण

निगरानी आदेश ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा मिसल संख्या 09 पट्टा संख्या 1202/2000–2001 दिनांक 17.11.2000

उपस्थित :–

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – निगराकार
2. श्री दिनेश चन्द्र बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से
3. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.07.2018

निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलिया द्वारा मिसल संख्या 1202/2000–2001 में पारित संकल्प संख्या 05 दिनांक 17.11.2000 को जारीसुदा मिसल संख्या 09/2000 – 2001 पट्टा संख्या 1202 दिनांक 17.11.2000 विधि होने से निरस्त किय जाने योग्य है। प्रार्थी निगराकर की पुश्तैनी एवं अविभाजित जायदाद के संबंध में गैर निगराकार एवं निगराकार के मध्य दिनांक 15.04.2012 से पुश्तैनी जायदाद में स्थिति सार्वजनिक चौक में से रास्ता रावले के अंदर जाता है, जिसका उपयोग निगराकार एवं अन्य भाई स्व0 गोपाल सिंह

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के वारीस एवं बेवा उच्च्छव कंवर शामिल तौर पर करते चले आ रहे हैं। शामलाती एवं सार्वजनिक चौक में से होकर जो रास्ता 70–80 वर्षो से रावले के अन्दर जाने आने में उपयोग हो रहा था तथा उक्त संबंध में विवाद होने से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जहां से निगराकार एवं गैर निगराकार के मध्य पुश्तैनी एवं शामलाती चौक में से पुश्तैनी रास्ते के संबंध में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा शामलाती दरवाजा (पोल) को अनाधिकृत रूप से तोडकर हटा दिया है एवं निगराकार ने एक वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश 01 में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 77/2014 ई0दी0 हैं एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 86/2012 ठा. भूपेन्द्र सिंह बनाम ठा. गोविन्द सिंह अनवान के प्रकरण में निर्णय दिनांक 18.09.2012 को पारित आदेश में शामलाती चौक व शामलाती रास्ते में कोई अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं करे तथा वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी जानकारी गैर निगराकार संया 02 को भी है, एवं गैर निगराकार संख्या 01 को भी है। जिसके संबंध में निगराकार द्वारा न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश के समय समय पर ग्राम पंचायत को निगराकार एवं गैर निगराकार की उक्त पुश्तैनी जायदाद के विवादित होने की जानकारी दिनांक 22.06.2012 को दी। उसी समय पुलिस थाना बिजौलिया में भी न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी दी, जिस पर गैर निगराकार संख्या 01 गोविन्द सिंह को भी दिनांक 22.06.2012 को पुलिस थाना बिजौलिया द्वारा सुचना दी, जिस पर गैर निगराकार संख्या 01 गोविन्द सिंह द्वारा उक्त शामलाती चौक एवं रास्ते पर पक्का निर्माण नहीं करने बाबत् अण्डर टेकिंग लिखित रूप में ली गई थी। फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 एवं 02 ने आपसी मिलीभगती कर बावजूद जानकारी के न्यायालय के आदेश की अवेहलना करते हुवे दिनांक 17.11.2000 को विधि विरूद्ध तरीके से गैर निगराकार संख्या 01 के हक में उक्त शामलाती एवं चौक एवं रास्ते का पुश्तैनी पट्टा जारी किया जो गैर कानूनी, अवैध होने से एवं पंचायत द्वारा उक्त पट्ट के संबंध में कोई मिसल कायम नहीं की एवं मिसल नम्बर मनमकसूद तरीके से फर्जी तौर पर अंकित किये है। इस कारण से भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि उक्त पट्टा आबादी भूमि का मिसल संख्या 09 से बनाया गया है, उक्त पट्टेशुदा भू–भाग सामलाती चौक होकर सभी रावले के सदस्यों के लिये उपयोग उपभोग के लिये रखा गया है जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 ने अकेले ही गैर निगराकार संख्या 2 से मिलकर बापी पट्टा अपने नाम पर बनवा लिया है जो गलत है उक्त सामलाती चौक में स्व0 गोपाल सिंह के वारिसान उच्छव कंवर का भी हक हिस्सा है एवं निगराकार का हक हिस्सा है, इस कारण से गैर निगराकार संख्या 2 ने गलत तौर पर गैर निगराकार 1 के पक्ष में पट्टा बनाया जो विधि विरूद्ध एवं पंचायत राज. नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी प0 स0 बिजौलिया के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने दिनांक 17.11.2000 को जो पट्टा जारी किया उसे संबंध में मौके की

न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सही स्थिति को छिपाकर गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। पूर्व कैलाश सुथार एवं गैर निगराकार संख्या 1 ने आपसी मिलाभगती करके उक्त पट्टा जारी किया, इसी प्रकार सरपंच ने पट्टा संख्या 410 मिसल संख्या 241/2012–2013 दिनांक 09.04. 2013 को भी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया। जिसकी निगरानी प्रकरण संख्या 09/2015 निर्णय दिनांक 24.03.2015 से निरस्त किया गया क्योकि उक्त पट्टा भी पूर्व सरपंच कैलाश सुथार द्वारा सामलाती चौक में से होकर जाने वाले रास्ते पर पट्टा बनाया गया था जो निरस्त हो चुका है। गैरनिगराकार संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा की मिसल भी कायम नही कर रखी है, जिसके संबंध में निगराकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मिसल की प्रतिलिपि चाही गई जिसकी आज्ञाओं की सूची पर नियम 146, 147, 148, 152, 156 में कई पर भी सरपंच के हस्ताक्षर नही हैं, एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर है। एक नोटिस सूचनापत्र गैर निगराकार संख्या 02 को जारी किया गया, जिसमें शामलाती चौक एवं रास्ते जो निगराकार का पुश्तैनी है, जिस पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करे एवं निर्माण कार्य किया हुआ है तो उसे तुरन्त हटा लेवें एवं किसी प्रकार का कोई पट्टा हो तो 03 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर देवें। लेकिन तत्समय उक्त शामलाती चौक का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 2 से आपसी मिलीभगत करके तथाकथित पट्टा गलत तौर पर जारी किया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर भी पुश्तैनी प्रमाणपत्र पर फर्जी किये गये है एवं पट्टा संख्या 410 के समय सचिव राजपाल था, एवं पट्टा संख्या 1202 के समय सचिव प्रभुलाल मीणा थे। उक्त पट्टे पर भी सारी की सारी कार्यवाही नियम विरूद्ध करके पट्टा जारी किया जो निरस्त किया जाना आवश्यक है। पूर्व में पट्टा संख्या 410 को निरस्त किया गया उसमें आम रास्ता पश्चिम दिशा में अंकित किया हुआ था, जबकि मौके पर पट्टा संख्याा 1202 मिसल संख्या 09/2000–2001 दिनांक 17.11.2000 को जारी किये गये पट्टे की पश्चिमी उत्तर कोने पर आम रास्ता जो पंचायत ने आम रास्ता बता रखा है जबकि मौके पर रास्ते में गैरनिगराकार संख्या 02 का मकान निर्मित होना उक्त दोनो पट्टे के पडोसो को मिलाने पर मौके पर आम रास्ता उक्त पट्टे शुदा भू–भाग पर जाहिर होता है ऐसी सुरत में उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक है। गैर निगराकार संख्या 02 ने अपने क्षेत्राधिकार से जाकर विवादित पुश्तैनी एवं शामलातीचौक व रास्ते का पट्टा जारी किये जाने में विधिक त्रुटि की है एवं पंचायत राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की है। विवादित जायदाद बाबत् न्यायालय के आदेशानुसार सर्वे कमीश्नर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2012 में दिनांक 11.06.2012 को जो नजरी नक्शा न्यायालय के आदेशानुसार तैयार किया गया के अनुसार मौके पर शामलाती रास्ता एवं चौक पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर रखा था एवं मौके पर शामलाती चौक एवं रास्ता था जो सर्वे कमीश्नर रिपोर्ट में अंकित कर रखा है, में आम रास्ते में गैर निगराकार संख्या 01 का मकान बना हुआ है जिससे रास्ता

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अवरूद्ध है एवं पुलिस थाना बिजौलिया के मार्फ़त गैर निगराकार संख्या 01 को दिनांक 22.06.2012 को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाया गया था जिसकी जानकारी गैर निगराकार संख्या 02 को भी थी। गैर निगराकार संख्या 02 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विवादित शामलाती चौक एवं विवादित रास्ते के विवाद की सम्पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भी गैर निगराकार सख्या 01 के नाम पर विवादित चौक एवं विवादित रास्ते का पट्टा जारी करने मे कानूनी भूल की है। गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम से जारी किया पट्टा पंचायत राज के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया जिसमें उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व अन्य पडोसियों को विधिवत सूचनापत्र जारी कर उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक था लेकिन ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी ने जानबूझकर उक्त विवादित चौक एवं रास्ते का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारी कर दिया। गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज नियम 141 से लगायत 156 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं कर गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी किया गया, उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा सं. 1202 दिनांक 17.11.2000 मिसल सं. 09/2000–2001 संकल्प सं. 05 को निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी को दिनांक 06.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सम्मन जारी किए गए। जिला अभिलेखालय भीलवाडा से पूर्व निगरानी प्रकरण सं. 09/2015 निर्णय दिनांक 24.03.2015 मूल पत्रावली तलब की गयी।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पट्टा आबादी भूमि का मिसल संख्या 09 से बनाया गया है, उक्त पट्टेशुदा भू–भाग सामलाती चौक होकर सभी रावले के सदस्यों के लिये उपयोग उपभोग के लिये रखा गया है जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 ने अकेले ही गैर निगराकार संख्या 2 से मिलकर बापी पट्टा अपने नाम पर बनवा लिया है जो गलत है उक्त सामलाती चौक में स्व0 गोपाल सिंह के वारिसान उच्छव कंवर का भी हक हिस्सा है एवं निगराकार का हक हिस्सा है, इस कारण से गैर निगराकार संख्या 2 ने गलत तौर पर गैर निगराकार 1 के पक्ष में पट्टा बनाया जो विधि विरूद्ध एवं पंचायत राज. नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी प0 स0 बिजौलिया के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने दिनांक 17.11.2000 को जो पट्टा जारी किया उसे संबंध में मौके की सही स्थिति को छिपाकर गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। पूर्व कैलाश सुथार एवं गैर निगराकार संख्या 1 ने आपसी मिलाभगती करके उक्त पट्टा जारी किया, इसी प्रकार सरपंच ने पट्टा संख्या 410 मिसल संख्या 241/2012–2013 दिनांक 09.04.2013 को भी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया। जिसकी निगरानी प्रकरण संख्या 09/2015 निर्णय दिनांक 24.03.2015 से निरस्त

न्यायालय जिला कलेक्टर (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया क्योकि उक्त पट्टा भी पूर्व सरपंच कैलाश सुथार द्वारा सामलाती चौक में से होकर जाने वाले रास्ते पर पट्टा बनाया गया था जो निरस्त हो चुका है। गैरनिगराकार संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा की मिसल भी कायम नही कर रखी है, जिसके संबंध में निगराकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मिसल की प्रतिलिपि चाही गई जिसकी आज्ञाओं की सूची पर नियम 146, 147, 148, 152, 156 में कई पर भी सरपंच के हस्ताक्षर नही हैं, एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर है। एक नोटिस सूचनापत्र गैर निगराकार संख्या 02 को जारी किया गया, जिसमें शामलाती चौक एवं रास्ते जो निगराकार का पुश्तैनी है, जिस पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करे एवं निर्माण कार्य किया हुआ है तो उसे तुरन्त हटा लेवें एवं किसी प्रकार का कोई पट्टा हो तो 03 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर देवें। लेकिन तत्समय उक्त शामलाती चौक का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 2 से आपसी मिलीभगत करके तथाकथित पट्टा गलत तौर पर जारी किया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम से जारी किया पट्टा पंचायत राज के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया जिसमें उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व अन्य पडोसियों को विधिवत सूचनापत्र जारी कर उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक था लेकिन ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी ने जानबूझकर उक्त विवादित चौक एवं रास्ते का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारी कर दिया। गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायत राज नियम 141 से लगायत 156 में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं कर गैर कानूनी रूप से पट्टा जारी किया गया, उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा सं. 1202 दिनांक 17.11.2000 मिसल सं. 09/2000–2001 संकल्प सं. 05 को निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित जायदाद गैर निगराकार सं.01 की पुश्तैनी होकर कब्जा चला आ रहा हैं। जिसके लिए ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार पटटा जारी किया। विपक्षी सं. 02 ने सामलाती चौक एवं रास्ते का पटटा जारी नहीं किया अपितु सामलाती चौक तो विपक्षी सं. 01 की जायदाद के दक्षिण में स्थित हैं तथा रास्ता विपक्षी की जायदाद के पश्चिम में आज भी मौके पर विद्यमान हैं। दिनांक 11.06.2012 को सर्वे कमिश्नर श्री राकेश जैन द्वारा नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें विपक्षी की जायदाद के दक्षिण की तरफ चौक व पश्चिम की तरफ 06 फीट चौड़ा रास्ता दर्शाया गया हैं एवं अपनी रिपोर्ट की कम सं. 05 पर सी से सी–01 बिन्दु की नपती लगभग 56 फीट अंकित की हैं एवं विपक्षी की जायदाद की अन्दर की नपती 34.5 फीट अंकित की हैं अर्थात दोनों दिशाओं की दीवारों को सम्मिलित करने के बाद भी नपती 37 फीट बाई 60 फीट बैठती हैं, एवं रिपोर्ट की कम सं. 11 में भी प्रतिवादी की निर्मित

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जायदाद का दरवाजा उत्तर में खुला हैं, अंकित किया हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार पाया गया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियम 1996 के नियम 148 के तहत भूमि विक्रय करने से पहले सार्वजनिक आपत्ति हेतु सूचना प्रकाशन कराना होता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सूचना प्रकाशन हेतु कोई सूचना पत्र नही हैं एवं न ही सूचना पत्र में विक्रय की जाने वाली भूमि का कोई उल्लेख हैं। किस – किस स्थान पर नोटिस को चस्पा किया गया हैं ? कोई उल्लेख नहीं हैं। ग्राम पंचायत के आज्ञाओं की सूची अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 147 से 152 की स्पष्ट उल्लघंना की गयी। इस पर सरपंच एवं सचिव की कहीं पर भी हस्ताक्षर होना नही पाया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली क्रमांक 09/2000–2001 में मौका निरीक्षण रिपोर्ट में सरपंच एवं वार्ड पंच के हस्ताक्षर नही है एवं न ही आवेदन की पुश्तैनी आराजियात पर भूखण्ड होना अंकित किया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार सं. 01 को पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया पटटा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण रहा हैं।

माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 01 भीलवाडा के प्रकरण सं. 86/2012 उनवान ठाकुर भूपेन्द्र सिंह बनाम ठाकुर गोविन्द सिंह बाबत् सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. बाबत् अस्थाई व्यादेश में दिनांक 18.09.2012 को निर्णय पारित किया कि " प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्व इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित किया जाता हैं कि अप्रार्थी मूल वाद के निर्णय तक विवादित चौक व रास्ते में कोई अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करें तथा वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखें।"

न्यायालय आदेश की अवमानना गैर निगराकार सं. 01 द्वारा किये जाने पर निगराकार द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 03 भीलवाडा में प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रकिया संहिता के तहत दर्ज कराया गया। जिसमें प्रकरण सं. 67/2014 दर्ज किया जाकर दिनांक 09.05.2016 को निर्णय पारित किया कि " अप्रार्थी ने न्यायालय के स्थगन ओदश दिनांक 12.06.2012 के पश्चात् विवादित स्थल पर निर्माण किया हैं एवं न्यायालय की आज्ञा की जानबूझकर अवहेलना की हैं। विवादित चौक में जो निर्माण कार्य अप्रार्थी द्वारा किया गया व जानबूझकर स्थगन आदेश की जानकारी रखते हुए किया गया हैं, इसलिए यह न्यायालय अप्रार्थी को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाता हैं। परिणामतः प्रार्थी ठाकूर भूपेन्द्र सिंह पंवार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं. मुतफरकात दीवानी सं. 86/12 में पारित आदेश की अवहेलना करने पर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।"

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत गैर निगराकार सं. 01 को जारी किया गया पटटा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से एवं गैर निगराकार सं. 01 द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 01 भीलवाडा के प्रकरण सं. 86/2012 उनवान ठाकुर भूपेन्द्र सिंह बनाम ठाकुर गोविन्द सिंह बाबत् सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. बाबत् अस्थाई व्यादेश दिनांक 18.09.2012 की अवहेलना की जाकर विवादित चौक में निर्माण कार्य किया गया है। जिससे उक्त भूभाग पर निर्माण कार्य हो जाने से प्रार्थी के साथ साथ चौक का उपयोग करने वाले रावले के अन्य व्यक्तियों व वहां से आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होगी। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत चान्द जी खेडी तहसील बिजौलियां मिसल सं. 09 पटटा सं. 1202/2000–2001 दिनांक 17.11.2000 के कम में स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया नियम 157(1) के अन्तर्गत पुश्तैनी पटटा 1202/2000–2001 अपास्त किये जाते हैं एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 01 भीलवाडा के प्रकरण सं. 86/2012 उनवान ठाकुर भूपेन्द्र सिंह बनाम ठाकुर गोविन्द सिंह बाबत् सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. बाबत् अस्थाई व्यादेश दिनांक 18.09.2012 की पालना की जाने हेतु ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी, विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजोलिया को निर्देशित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत चान्द जी की खेडी, विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजोलिया को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2013 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाडा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)